

विभागवार संचिकास्त संचिकाओं की सूची-2012

जनवरी-2012

शिक्षा विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(शिक्षा)15/2011	श्री सुरेश साह ग्राम+पो0+पंचायत मोतीपहाडी प्रखण्ड बोरिया जिला साहेबगंज की नियुक्ति के संबंध में सुधीर कुमार का शिकायत ।	04.01.2012	जिला शिक्षा अधीक्षक सह कार्यक्रम पदाधिकारी झारखण्ड शिक्षा परियोजना साहेबगंज द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के आलोक में परिवादी से चार सप्ताह के अन्दर मंतव्य की मांग की गई थी वांछित समय के अन्दर मंतव्य उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दी गई ।
2.	02/लोक(शिक्षा)13/2006	स्व० रंजना पालित पूर्व शिक्षिका शिवनरायण कन्या मारवाड़ी उच्च विद्यालय राँची के लम्बित दावों के भुगतान के संबंध में श्री बी. बी. पालित का परिवाद पत्र ।	21.01.2012	परिवादी अपने इस परिवाद के संबंध में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची का रुख कर चुका है तथा सुनवाई के बाद मामले का निपटारा कर दिया गया है। परिवादी को जिला शिक्षा अधीक्षक के रिपोर्ट के आलोक में कई स्मार पत्रों के द्वारा मंतव्य की मांग की गई परन्तु परिवादी द्वारा इसमें किसी प्रकार की रुची नहीं दिखाया गया ।
3.	01/लोक(शिक्षा)01/2009	श्रीमती माला भगत पूर्व सी०डी०पी०ओ०, श्रीमती सविता वर्मा वर्तमान सी०डी०पी०ओ०, पूर्व प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, श्री गोपाल भगत, सभी प्रखण्ड पदमा तथा अन्य पर पैसे लेकर अयोग्य अभ्यर्थियों को सेविका तथा सहायिका पर नियुक्ति करने के संबंध में ।	18.01.2012	उपायुक्त हजारीबाग के प्रतिवेदन के अनुसार अयोग्य चयनित सेविका का सेवा समाप्त कर दिया गया तथा तत्कालिन सी०डी० पी०ओ० के विरुद्ध कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग को उपायुक्त हजारीबाग द्वारा रिपोर्ट अग्रसारित किया जा चुका है।

राजस्व विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(राजस्व)07/09	भूमि संरक्षण पदाधिकारी घाटशीला(पूर्वी सिंभूम) द्वारा सेवानिवृत्त सहायक भूमि संरक्षण पदाधिकारी चाकुलिया श्री प्रमोद कुमार गुप्ता को सेवानिवृत्ति लाभ की राशि का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में।	20.01.2012	परिवादी को सेवानिवृत्त लाभ एवं अन्य पावनाओं का भुगतान कराया गया ।
2.	02/लोक(राजस्व)13/09	शेख मोहिउद्दिन, चौकीदार ग्राम गोरे थाना माण्डर से प्राप्त शिकायत ।	20.01.2012	सेवानिवृत्त के पश्चात सेवान्त लाभ का भुगतान कराया गया तथा पेंशन का भुगतान सुनिश्चित कराया गया ।
3.	02/लोक(राजस्व)55/05	श्री मुरलीधर वर्मा विकलांग 13- रातु रोड राँची से प्राप्त परिवाद पत्र ।	27.01.2012	अपर समाहर्ता राँची के रिपोर्ट के आधार पर संचिका पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

पुलिस विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(पुलिस)04/09	श्री शंकर यादव हवलदार जमशेदपुर जिला बल को सेवा निवृत्त की तिथि से पांच वर्ष पहले सेवानिवृत्त करवा दिये जाने के संबंध में ।	11.01.2012	लोकायुक्त अधिनियम 2001 के धारा 8(4)(A)के तहत अतिविलम्ब से परिवाद दाखिल किया गया है । अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई संभव नहीं है ।
2.	02/लोक(पुलिस)07/09	श्री बुधेश्वर भूमिज वल्द नामालूम साकिन सितारामडेरा थाना अन्तर्गत किशोरी नगर के घर में कुछ असमाजिक तत्व के आने जाने से मोहल्ले के गरीब बस्ती वासीयों में दहशत का माहौल तथा जान माल के खतरा के संबंध में ।	11.01.2012	परिवाद पत्र माननीय लोकायुक्त महोदय को सीधे संबोधित नहीं रहने के कारण संचिकास्त ।
3.	02/लोक(पुलिस)06/08	थाना तालझरी जिला दुमका झारखण्ड के थाना प्रभारी सुशील कुमार द्वारा अपराधिक मामले में असमाजिक तत्वों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज नहीं किये जाने के संबंध में ।	11.01.2012	परिवाद सक्षम न्यायालय में लम्बित रहने के कारण परिवाद पत्र पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया ।
4.	02/लोक(पुलिस)05/08	श्रीमती वसन्ती देवी पत्नी श्री रन्थु उर्राव को जीवन यापन भत्ता दिलवाने के संबंध में ।	11.01.2012	परिवारिक परिवाद लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं रहने के कारण संचिकास्त ।
5.	02/लोक(पुलिस)10/08	मो० करुणा द्वारा दर्ज बरही थाना हजारीबाग काण्ड सं० 133/03 के अभियुक्त पर कार्रवाई करने के संबंध में ।	11.01.2012	परिवाद माननीय लोकायुक्त को संबोधित नहीं रहने के कारण पोषणीय नहीं है ।
6.	01/लोक(पुलिस)22/06	स्थानीय रंगदारों के द्वारा रंगदारी मांगने एवं इन्कार कर देने पर जान से मार देने की धमकी देने वालो पर उचित कार्रवाई के संबंध में ।	13.01.2012	पुलिस अधीक्षक जामताड़ा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में परिवादी से कई बार मंतव्य की मांग की परन्तु परिवादी द्वारा किसी प्रकार का रुची नहीं दिखाये जाने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
7.	02/लोक(पुलिस)12/08	कोडरमा तिलैया थाना काण्ड सं० 5/08(राज्य बनाम रामेश्वर मोदी एवं अन्य) में अभियुक्तों के विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई और गिरफ्तारी के संबंध में ।	19.01.2012	परिवाद लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं रहने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।
8.	01/लोक(पुलिस)04/07	श्री अशोक गुप्ता जीप चालक कतरास थाना धनबाद के विरुद्ध श्री भिखारी राम रविदास रानी बाजार कतरास गढ़ धनबाद का शिकायत ।	19.01.2012	परिवाद लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं रहने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।
9.	01/लोक(पुलिस)01/06	मो० सलीम आवेदक को उनके पड़ोसी जमशेद द्वारा जान से मार देने के धमकी देने के संबंध में ।	25.01.2012	परिवादी को अन्य अनुतोष लाभ प्राप्त है परिवादी को इसके लिए सक्षम न्यायालय में अपराधिक मुकदमा दर्ज करानी चाहिए । अतः लोकायुक्त अधिनियम के तहत पोषणीय नहीं है ।
10.	01/लोक(पुलिस)06/07	थाना प्रभारी मुफरिसल हजारीबाग के विरुद्ध श्री रामेश्वर प्रजापति एवं अन्य का परिवाद ।	25.01.2012	परिवाद माननीय लोकायुक्त को संबोधित नहीं रहने के कारण पोषणीय नहीं है ।
11.	01/लोक(पुलिस)01/07	श्रीमति संध्या रानी मेहता सीटी आरक्षी उपाधीक्षक	25.01.2012	परिवाद लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं

		बोकारो द्वारा बोकारो स्टील सीटी थाना काण्ड सं. 197/06 में गलत पर्यवेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने संबंधी श्री अभय उपाध्याय का परिवाद ।		रहने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।
12.	02/लोक(पुलिस)16/11	पुलिस निरीक्षक रामाशंकर सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई 51/2009 के संबंध में ।	27.01.2012	रामाशंकर सिंह पुलिस निरीक्षक धनबाद के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के पाश्चात अंतिम आदेश विभाग द्वारा पारित किया जा चुका है । अतः इस मामले में अग्रतर कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत नहीं होता है ।
13.	01/लोक(पुलिस)28/06	सदर थाना हजारीबाग में कांड सं0 160/06 एवं कम्पलेन केश सं0 754/06 पर उचित कार्रवाई नहीं किये जाने के संबंध में श्रीमती माला गुप्ता का शिकायत ।	27.01.2012	परिवाद अपराधिक मामले में हस्तक्षेप से संबंधित है । परिवाद लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं रहने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।
14.	02/लोक(पुलिस)08/08	श्री चन्द्रस टुडू सेवा निवृत्त अवर निरीक्षक गिरीडिह जिला बल, झारखण्ड को पेंशन भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में ।	27.01.2012	पुलिस अधीक्षक गिरिडीह से प्राप्त रिपोर्ट तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य के अनुसार परिवादी को नियमित पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। अतः परिवादी के परिवाद का निराकरण कराया गया ।

ग्रामीण विकास विभाग

क्रम सं0	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक(ग्रा0वि0)124/05	ग्राम पाराडीह थाना चतरा के अन्तर्गत विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता के संबंध में ।	18.01.2012	परिवाद सही नहीं पाये जाने तथा उपायुक्त चतरा के जांच प्रतिवेदन को सही मानते हुए परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।
2.	02/लोक(ग्रा0वि0)06/11	प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी पदमा हजारीबाग के द्वारा प्रताड़ित करने के संबंध में ।	19.01.2012	परिवादी को मनरेगा के तहत कराये गये कार्य के बदले में संबंधित विभाग से 17405/-रु0 का भुगतान कराया गया ।
3.	01/लोक(ग्रा0वि0)06/11	राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के संबंध में परिवादी पूर्णिमा हांडी का शिकायत ।	31.01.2012	परिवादी को तत्काल प्रभाव से बी0पी0एल सूची में नाम दर्ज कर लिया गया है तथा लाल कार्ड भी उनके नाम से निर्गत किया किय जा चुका है ।

खाद्य आपूर्ति विभाग

क्रम सं0	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(खाद्य आ0)03/07	श्रीमती पुष्पा सिंह को नियम विरुद्ध किरासन तेल का ठेला भेन्डर का लाईसेंस आवंटित करने के संबंध में श्री मोहन रजक का शिकायत पत्र ।	25.01.2012	कई स्मार पत्रों के पश्चात भी परिवादी द्वारा अपने परिवाद के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र समर्पित नहीं करने के कारण परिवाद पर माननीय लोकायुक्त के द्वारा अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
2.	01/लोक(खाद्य आ0)117/2005	राँची L.P.G गैस के वितरकों द्वारा गैस का कृत्रिम अभाव पैदा कर उपभोक्ताओं को परेशान कर नजायज राशि के वसूलने के संबंध में ।	25.01.2012	परिवादी का शिकायत का निराकरण कराया गया ।

3.	02/लोक(खाद्य आ0) 03/05	पेटरवार प्रखण्ड के जन वितरण प्रणाली के दुकानों में भयंकर कालाबजारी तथा गलत लोगों को गरीबी रखा के अन्तर्गत लाल कार्ड वितरण के संबंध में ।	25.01.2012	परिवादी द्वारा परिवाद सीधे माननीय लोकायुक्त को संबोधित नहीं रहने तथा कई स्मार पत्रों के बाद भी परिवादी द्वारा परिवाद के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र एवं कोर्ट फी जमा नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
4.	02/लोक(खाद्य आ0) 02/2006	गोबिन्द पुर जन वितरण प्रणाली दुकान का चावल का कालाबजारी करने के संबंध में ।	25.01.2012	परिवादी द्वारा परिवाद सीधे माननीय लोकायुक्त को संबोधित नहीं रहने तथा कई स्मार पत्रों के बाद भी परिवादी द्वारा परिवाद के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र एवं कोर्ट फी जमा नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
5.	01/लोक(खा0 आ0) 01/2007	उपभोक्ता फोरम संरक्षण देवघर के सदस्य श्री विजय कान्त झा के मनमानी एवं भ्रष्टाचार एवं के विरुद्ध आरोप के संबंध में ।	31.01.2012	परिवाद पत्र के साथ शपथ पत्र तथा कोर्ट फी नहीं है एवं परिवादी के रूप में किसी व्यक्ति विशेष का नाम भी परिवाद में दर्ज नहीं है जिस कारण पत्राचार में असुविधा हो रही है। अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

कृषि विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(कृषि)05/2011	बकाये राशि के भुगतान हेतु श्री हरिनारायण प्रसाद सेवानिवृत्त कृषि निरीक्षक का शिकायत ।	27.01.2012	कृषि निदेशक झारखण्ड के जांच रिपोर्ट तथा परिवादी द्वारा दिये गये मंतव्य के अनुसार परिवादी को सभी बकाये का भुगतान करा दिया। अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

विद्युत विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक (विद्युत)07/2011	श्री विजय कुमार सिंहा तकनीकी सलाहकार ऊर्जा विभाग नेपाल हाउस को वर्ष 2005 में बिहार कैंडर होने के बावजूद झारखण्ड सरकार द्वारा विरमित नहीं किये जाने के संबंध में ।	05.01.2012	किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा परवादी का नाम व हस्ताक्षर का प्रयोग कर गलत परिवाद दाखिल किया है।
2.	02/लोक(विद्युत)02/2011	श्री टेकलाल महतो पिता स्व० मानकी महतो ग्राम हुपाड़ पोस्ट हरहद पंचायत हजारीबाग द्वारा विद्युत संचार हेतु प्राप्त शिकायत ।	04.01.2012	परिवादी के समस्या का निराकरण हो जाने के पश्चात परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।

वाणिज्यकर विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(वा0कर)04/11	श्री सदानन्द ठाकुर लिपिक वाणिज्यकर अंचल कार्यालय बोकारो का सामान्य भविष्य निधि लेखा अद्यतन करने के संबंध में ।	31.01.2012	परिवादी का सामान्य भविष्य निधि लेखा अद्यतन कराया गया तथा परिवादी को उनका लेखपर्ची भी संबंधित विभाग से उपलब्ध कराया गया ।

समाज कल्याण विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक(स0 कल्याण)09/2011	पलामू जिला अन्तर्गत टोले कामत ग्राम में आंगनबाड़ी सेविका चयन में अनियमितता के संबंध में।	31.01.2012	कई पत्रों एवं स्मार पत्रों के बाद भी परिवादी द्वारा अपना मंतव्य नहीं देने तथा उपायुक्त पलामू के जांच प्रतिवेदन के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

कल्याण विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(कल्याण)02/07	श्री शिवनारायण भोक्ता, दृष्टिहीन विकलंगता पेंशन भुगतान के संबंध में।	11.01.2012	परिवादी को बकाया दृष्टिहीन विकलंगता पेंशन का भुगतान संबंधित विभाग से कराया गया तथा पेंशन भी चालू कराया गया ।

पथ निर्माण विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक(पथ)03/2006	श्री रामचन्द्र भारती सहायक अभियंता पथ प्रमंडल धनबाद के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता गबन तथा करोड़ों की अवैद्य कमाई करने का री अनिल कुमार का शिकायत ।	27.01.2012	पुलिस अधीक्षक निगरानी ब्यूरो राँची के जांच प्रतिवेदन के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
2.	01/लोक(पथ)03/2011	श्री अखिलेश्वर प्रसाद चौधरी विशेष सचिव पथ निर्माण विभाग द्वारा पद का दुरुपयोग करने तथा करोड़ों रूपये के निविदा का अनियमित निष्पादन करने से संबंधित माननीय विधान सभा सदस्य का शिकायत ।	31.01.2012	सचिव झारखण्ड विधान सभा के रिपोर्ट के आलोक में तथा माननीय सदस्य के मृत्यु के पश्चात परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

जल संसाधन विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक(ज.सं.)07/2009	श्री केदार प्रसाद सहायक अभियंता चालू प्रभार (सेवा निवृत्त) से संबंधित पावनाओं के भुगतान के संबंध में ।	31.01.2012	स्व० केदार प्रसाद सेवानिवृत्त सहायक अभियंता के सेवानिवृत्ति उपरान्त सभी देय पावनाओं का भुगतान उनकी पत्नी श्रीमती रेखा प्रसाद को कराया गया ।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक(पेय० स्व०)01/2006	कुप्रशासन से न्याय पाने हेतु श्री राम दास मोची कार्यपालक अभियंता पेय जल एवं स्वच्छता प्रमंडल जामताड़ा का परिवाद पत्र ।	25.01.2012	परिवाद एक लोक सेवक के अवैद्य स्थानान्तरण से संबंधित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत नहीं आता है। अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।

स्वास्थ्य विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(स्वा०)15/2009	श्री परेश चन्द्र महतो की सेवा पुस्तिका महालेखाकार को नहीं भेजने के संबंध में ।	02.01.2012	परिवादी को सेवानिवृत्त का लाभ दिलाया गया । संबंधित विभाग द्वारा पेंशन एवं उपादान की स्वीकृति हेतु सेवा पुस्त सम्पुष्टि के लिए सक्षम स्तर पर भेजा गया है।
2.	02/लोक(स्वा०)07/2009	श्रीमती शानतीलता मराण्डी विधवा स्व० निवास प्रसाद सिंहा भूत पूर्व लिपिक प्रा० स्वा० केन्द्र मोहनपुर का परिवारिक पेंशन तथा अन्य देय राशि का भुगतान प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी मोहन पुर द्वारा नहीं किये जाने के संबंध में ।	03.01.2012	संबंधित विभाग द्वारा उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र की मांग की गई है जिसे परिवादी द्वारा समय पर जमा करने के बाद संबंधित विभाग द्वारा परिवाद का निष्पादन कर दिया जाएगा ।

पशुपालन एवं मत्स्य विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(पशु० पा०) 03/2011	अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु श्री अभिषेक प्रकाश से प्राप्त परिवाद ।	27.01.2012	परिवादी द्वारा अपने पविाद के निराकरण के लिए माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर किया गया है । अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

विविध

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(विविध)05/2008	पारिवारिक पेंशन तथा उपार्जित अवकाश के बदले नगद राशि का भुगतान इत्यादि नहीं दिये जाने के संबंध में श्रीमती उर्मिला शर्मा विधवा स्व० गणेश प्रसाद शर्मा से प्राप्त परिवाद ।	09.01.2012	परिवाद Hindustan Steel Works Construction Ltd. से संबंधित है जो लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत नहीं आता है ।
2.	02/लोक(विविध)02/2011	श्री परमानन्द प्रसाद ग्राम-सर्वोदय नगर (मधड़ा) पो०-मधड़ा थान दीपनगर नालन्दा द्वारा पेंशन आदि का भुगतान से संबंधित शिकायत ।	09.01.2012	उपायुक्त गिरीडिह से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में परिवादी को अंतिम पेंशन एवं ग्रेच्यूटि का भुगतान कर दिया गया है ए.सी.पी आदि के लाभ के लिए सेवा पुस्त के सत्यापन के पाश्चात महालेखाकार को भेजने की बात कही गई है। इस संबंध में परिवादी से कई बार मंतव्य की मांग की गई परन्तु अब तक अप्राप्त है अतः संचिका पर आगे का कार्रवाई बंद कर दिया गया ।

नगर विकास विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(न०वि०वि०)04/2007	नगरपालिका के विशेष पदाधिकारी हजारीबाग के अन्दर कार्य कराने वाला मास हाई लाईट के ठिकेदार दीपक कुमार को टेन्डर के अनुसार कार्यवाही करने में मनमानी एवं लापरवाही बरतने के संबंध में महाबीर साव का शिकायत ।	25.01.2012	परिवादी द्वारा परिवाद सीधे माननीय लोकायुक्त को संबोधित नहीं रहने तथा कई स्मार पत्रों के बाद भी परिवादी द्वारा परिवाद के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र एवं कोर्ट फी जमा नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

विधि विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(विविध)01/2011	श्री अमरनाथ मधु मिशन कंपाउंड, चाईबासा, प० सिंहभूम द्वारा पेंशन का मासिक भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में प्राप्त शिकायत ।	27.01.2012	परिवादी को भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाख चाईबासा से मासिक पेंशन का भुगतान चालू कराया गया ।

शिकायत / परिवाद

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	शिकायत सं० 171/2009	जिला समन्वयक पदाधिकारी प्रकल्प प० सिंहभूम की गलत तरिके से नियुक्ति के संबंध में।	02.01.2012	नकली परिवादी द्वारा गलत पता देकर शिकायत दायर किया गया है।
2.	शिकायत सं० 53/2010	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में नलकूप निर्माण योजना में उपयोग में आने वाली विभिन्न सामग्रियों के क्रय में व्याप्त भ्रष्टाचार व जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल के संबंध में श्री महेश खिरवाल से प्राप्त शिकायत।	02.01.2012	कई स्मार पत्रों के बाद भी शिकायतकर्ता द्वारा शपथ पत्र और कोर्ट फी जमा नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दी गई।
3.	शिकायत सं० 566/2011	श्रीमती सूरजदेवी पति स्व० बद्रीनारायण सिंह ग्राम करसो थाना बरही हजारीबाग द्वारा मूल केवाला में दिये गये प्लॉट को मिटा करा कर दाखिल खरिज करवाने के संबंध में।	05.01.2012	परिवाद लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं होने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया।
4.	शिकायत सं० 598/2011	श्री सुरेश प्रसाद प्रभाकर, तत्कालिन सहायक अभियंता, अवर प्रमंडल गिरीडिह के वेतन से काटी गई सा० भ० निधि की राशि का उनके सा० भ० निधि लेखा में जमा नहीं करने के संबंध में परिवाद।	03.01.2012	परिवादी द्वारा परिवाद अति विलम्ब से दाखिल करने के कारण लोकायुक्त अधिनियम 2001 के पोषणीय नहीं है।
5.	शिकायत सं० 151/2011	झारखण्ड राज्य के साहेबगंज जिला अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक के बोरियो शाखा के शाखा प्रबंधक पर चरम भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के संबंध में श्री धर्मन्द्र पंडित का शिकायत।	05.1.2012	राष्ट्रीयकृत बैंक और इसके अधिकारी पर किसी प्रकार की कार्रवाई झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत नहीं आते हैं जिस कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया।
6.	शिकायत सं० 537/2011	अप्रर्याप्त पेंशन राशि प्राप्त करने के संबंध में श्री बिमलेन्दु विकास मजूमदार भूतपूर्व सेल्स मैनेजर सी. सी.एल. राँची का शिकायत पत्र।	05.01.2012	परिवाद केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम सेन्ट्रल कोल फिल्ड लि० से संबंधित है, जो लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत नहीं आता। अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया है।
7.	शिकायत सं० 527/2011	इन्टर की परीक्षाओं की पुनः जांच परिणाम घोषित नहीं करने के संबंध में श्री मानबहादुर सिंह जमशेदपुर से प्राप्त शिकायत।	05.01.2012	परिवादी द्वारा अपना पत्राचार का पता नहीं लिखने तथा परिवाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र एवं आवश्यक कोर्ट फी जमा नहीं करने के कारण परिवाद पत्र पर अग्रतर कार्रवाई संभव नहीं है।
8.	शिकायत सं० 575/2011	बकाया विपत्रों के भुगतान हेतु श्री प्रयाग राज अग्रवाल जामताड़ा से प्राप्त शिकायत पत्र।	03.01.2012	परिवादी द्वारा परिवाद अति विलम्ब से दायर किये जाने के कारण परिवाद पत्र पर माननीय लोकायुक्त द्वारा अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया।
9.	शिकायत सं० 632/2011	डोमन सिंह मुण्डा द्वारा परिवादीनी मो० विनोता देवी के खेत से जबरन धान काटने के संबंध में प्राप्त शिकायत।	12.01.2012	परिवादीनी को अन्य अनुतोष प्राप्त रहने के कारण लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं रहने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया।
10.	शिकायत सं० 627/2011	श्याम किशोर प्रसाद, राजस्व कर्मचारी तमाड़ अंचल को श्रीमती अराधना सिंह पुलिस सब इन्सपेक्टर	11.01.2012	चूँकि परिवाद सक्षम न्यायालय में प्रक्रियाधीन है अतः लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत परिवाद पोषणीय नहीं

		कोतवाली थाना द्वारा जबरन केश में फसकर जेल भेजने के संबंध में श्री गिरीश नन्दन कुमार से प्राप्त शिकायत ।		है।
11.	शिकायत सं० 603/2011	फ्रांसिस हेम्ब्रम का मौजा झिक्टीया प्रखण्ड पतना अनुमंडल राजमहल में जमीन सं० 29 के अन्तर्गत अवस्थित जमीन पर टाईटल सूट को लेकर विवाद के संबंध में ।	12.01.2012	परिवादी को परिवाद के निपटारे के लिए अन्य अनुतोष प्राप्त है तथा उसे इसका लाभ लेना चाहिए। अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई संभव नहीं है।
12.	शिकायत सं. 118/2011	थाना प्रभारी किरीबुरु द्वारा केस उठा लेने व झुटे मुकदमें में फसाने के संबंध में मो० मोजीब से प्राप्त शिकायत पत्र ।	13.01.2012	परिवादी द्वारा कई पत्रों एवं स्मार पत्रों के बाद भी परिवाद के समर्थन में न तो शपथ पत्र समर्पित किया गया और नहीं कोर्ट फी । अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई संभव नहीं है।
13.	शिकायत सं० 07/2012	परिवादी देव कुमार मंडल के चाचा तेजपाल मंडल के द्वारा उसके हिस्से के खेत से अवैध रूप से कोयला का उत्खनन करने के संबंध में ई-मेल से प्राप्त शिकायत ।	16.01.2012	परिवाद माननीय लोकायुक्त को संबोधित नहीं रहने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
14.	शिकायत सं० 630/2011	आजाद हरिजन हत्याकाण्ड का न्यायिकजांच करने के संबंध में के.के.साहू थाना प्रभारी सुखदेवनगर के विरुद्ध परिवादी सुकला राम का शिकायत ।	20.01.2012	परिवाद लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।
15.	शिकायत सं० 523/2011	प्रयाग मोदी एवं अन्य के द्वारा दर्ज तिलैया कोडरमा थाना काण्ड सं० 156/2011 पर कार्रवाई करने के संबंध में ।	19.01.2012	परिवाद लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं रहने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।
16.	शिकायत सं० 180/2011	श्रम मंत्रालय भारत सरकार के ट्रिभिनल कोर्ट धनबाद के एवार्ड को लागु करते हुए श्री सुखदेव नोनिया के शिकायत के संबंध में।	20.01.2012	परिवाद भारत सरकार के लोक उपक्रम सी.सी.एल से संबंधित है जो लोकायुक्त झारखण्ड के अन्तर्गत नहीं आते है। अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई समाप्त कर दिया गया ।
17.	शिकायत सं० 466/2011	परिवादी श्री गोपीराज सिंह (से० नि०) के प्रथम कालबद्ध प्रोन्नती 24.05.1983 को निरस्त कर सेवान्त लाभ के विपत्र से 30463/रु० की वसूली किये जाने के संबंध में ।	25.01.2012	प्राप्त परिवाद लोकायुक्त अधिनियम 2001 के धारा 10(4-A) के अन्तर्गत पोषणीय प्रतीत नहीं होने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
18.	शिकायत सं० 635/2011	स्वैच्छिक सेवा निवृत्त एच० ई० सी० लिमिटेड कर्मचारियों का बकाया राशि दिनांक 01.01.1992 से 31.12.1996 तक नहीं भुगतान करने के संबंध में ।	13.01.2012	परिवाद भारत सरकार के लोक उपक्रम एच० ई० सी० लिमिटेड से संबंधित है जो लोकायुक्त झारखण्ड के अन्तर्गत नहीं आते है। अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।
19.	शिकायत सं० 553/2011	श्री ललितेश राज प्रोपराईटर M/S राज इंजीनयरिंग एण्ड कॉ० साहेबगंज द्वारा अंचलाधिकारी बरहरवा के विरुद्ध जांच प्रतिवेदन लम्बित रख कर भू-माफियाओं को मदद पहुंचाने का आरोप ।	25.01.2012	परिवाद दो पक्षों के बीच जमीन के स्वामित्व को लेकर आपसी विवाद है जो लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत नहीं आता। अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।
20.	शिकायत सं० 602/2011	श्री चन्दर टोप्पो हेहल राँची द्वारा भू-वापसी न्यायालय राँची के द्वारा सी.एन.टी. एक्ट के विरुद्ध आदेश पारित करने के संबंध में।	25.01.2012	परिवादी को अन्य अनुतोष का लाभ प्राप्त है तथा उसे इसका लाभ लेना चाहिए । अतः परिवादी भू-वापसी न्यायालय राँची के द्वारा सी.एन.टी. एक्ट के विरुद्ध पारित

				आदेश के विरुद्ध न्यायालय आयुक्त, द.छो.प्र में अपील वाद कर सकता है।
21.	शिकायत सं० 50/2011	मो० जमालुद्दिन मियाँ वल्द स्व० जैनुद्दिन मियाँ कोचेडेगा, पो०- कोचेडेगा थाना+जिला-सिमडेगा	25.01.2012	परिवादी को अन्य अनुतोष का लाभ प्राप्त है तथा उसे इसका लाभ लेना चाहिए। परिवाद लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं रहने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया।
22.	शिकायत सं. 491/2011	काश्तकारी अधिनियम के उल्लंघन के संबंध में काश्तकारी विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध बुधराम लोहरा तमाड़ राँची का शिकायत।	25.01.2012	परिवादी को अन्य अनुतोष का लाभ प्राप्त है तथा उसे इसका लाभ लेना चाहिए। अतः परिवादी भू-वापसी न्यायालय राँची के द्वारा सी.एन.टी. एक्ट के विरुद्ध पारित आदेश के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अपील वाद कर सकता है।
23.	शिकायत सं० 545/2011	श्री तापस कुमार दास प्रभारी रोकड़पाल ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल खूँटि द्वारा रोकड़पाल का प्रभार नहीं सौंपने के संबंध में श्री गिरिराज कुमार कनीय लेखा लिपिक ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल खूँटि का शिकायत।	25.01.2012	यह शिकायत एक लोकसेवक का दुसरे लोकसेवक के विरुद्ध है जो लोकायुक्त अधिनियम 2001 के धारा 9(1)(ख)के तहत पोषणीय नहीं है। अतः शिकायत पर अग्रतर कार्रवाई माननीय लोकायुक्त के द्वार बंद कर दिया गया।
24.	शिकायत सं० 506/2011	गोड्डा जिला के ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल गोड्डा के सहायक अभियंता श्री घनश्याम साह के द्वारा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में करोड़ों रुपये गबन करने के संबंध में प्राप्त शिकायत।	31.01.2012	शिकायत के समर्थन में शपथ पत्र समर्पित करने के लिए शिकायतकर्ता के पता पर पत्राचार किया गया परन्तु पत्र बिना प्राप्त हुए वापस आगया जिससे पता चलता है कि किसी नकली परिवादी द्वारा गलत पता देकर परिवाद दाखिल किया गया। अतः परिवाद को खरिज कर दिया गया।
25.	शिकायत सं० 14/2012	माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची द्वारा WP(S) No.4342/10 dt.24.09.10 and LPA No.461/10 में पारित आदेश की अहवेलना के संबंध में।	31.01.2012	माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अहवेलना से संबंधित कोई प्रावधान झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 में नहीं है। अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया।
26.	शिकायत सं० 580/2011	चार करोड़ की टैक्स चोरी के संबंध में श्री शैलेन्द्र कुमार सिंहा से प्राप्त शिकायत।	31.01.2012	परिवाद भारत सरकार के लोक उपक्रम डी० वी० सी० लिमिटेड से संबंधित है जो लोकायुक्त झारखण्ड 2001 के अन्तर्गत नहीं आते है। अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया।
27.	शिकायत सं० 151/2009	आंगनबाड़ी सेविका चयन हेतु निर्धारित दिनांक 25.08.2009 के आम सभा में प्रतिनियुक्त महिला पर्यवेक्षिका श्रीमती लीला वर्मा द्वारा ग्राम मानिकपुर में अवैद्य एवं अधुरा आम सभा कर डेरा में कार्य सम्पन्न कर अवैद्य चयन पत्र देने के संबंध में।	31.01.2012	कई पत्र एवं स्मार पत्रों के बाद भी परिवादीनी द्वारा शपथपत्र की सच्ची प्रति कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया।